

पश्चिम बंगाल व सिक्किम जीडीसी, कोलकाता के नेमी आदेश सं. 02 /37-जी-11 दिनांक 20.02.2024 West Bengal & Sikkim G.D.C., Kolkata's Routine Order No. 02 /37-G-11 dated 20. 02.2024

1. <u>एल.डी.सी.ई-2023 के माध्यम से चयन पर अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पदोन्नति</u> PROMOTION TO THE POST OF OFFICER SURVEYOR ON SELECTION THROUGH LDCE -2023.

भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक स्था.1-29/579-रूल्स/एस.डी.सी.ई दिनांक 27 जनवरी 2024 के अनुसार निन्मलिखित ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) डिविजन-I को एल.डी.सी.ई-2023 के माध्यम से चयन पर अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

With the approval of the Surveyor General of India vide his letter No.पत्रांक स्था.1-29/579-फल्स/एल.डी.सी.ई दिनांक 27 जनवरी 2024, the undermentioned Group'B'(Non-Gazetted) Division-I is hereby promoted to the post of Officer Surveyor on selection through LDCE-2023 in the level of Pay Matrix- 8 with effect from the date shown against his name below :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	जिस पद पर पदोन्नति		लागु होने की	प्राधिकार
Sl.No.	Name &	की जाती है	में लेवल	तिथि	Authority
	Designation	Post to which	Level in	Date of effect	
		promoted	Pay		
			Matrix		
1.	जहांगीर आलम, सर्वेक्षक	अधिकारी सर्वेक्षक	लेवल-8	29.01.2024	महासर्वेक्षक का पत्रांक
	Jahangir Alam,	Officer Surveyor	_		स्था.1-29/579-
	Surveyor		Level-8		रूल्स/एल.डी.सी.ई
					दिनांक 27 जनवरी
					2024

i . संबंधित सरकारी कर्मचारी को एफ0आर0 22 (I)(क)(1) के अनुसार वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनका वेतन नियतन किया जायेगा।

The concerned Govt. Servant is required to exercise an option under FR 22(I) (a) (1) for fixation of pay, on that basis Head of Office will fix/ regularize his pay in new level of Pay Matrix.

ii. प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against him.

iii. इस मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2023-2024 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा

किया जाएगा एवं उचित शीर्ष के नाम किया जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2023-2024 and debited to the appropriate Head of Account.

2 अधिकारी सर्वेक्षकों को Non-Functional Scale (NFS) का लाभ

BENEFIT OF NON-FUNCTIONAL SCALE (NFS) TO OFFICER SURVEYOR

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र सं.J-3859/58-7th CPC दिनांक 12.05.2020 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मत्रांलय (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) नई दिल्ली के पत्र सं. एस.एम/04/13/2015 दिनांक 01.05.2020 के पैरा 2(3) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षक को पे मैट्रिक्स लेवल-08 में लगातार 04 वर्षों की सेवा पूरी करने पर पे मैट्रिक्स लेवल-09 में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गये विवरणानुसार Non-Functional Scale (NFS) का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

In pursuance with Ministry of Science & Technology (Department of Science & Technology), New Delhi letter No. SM/04/13/2015 dated 01.05.2020 received vide SGO's letter No. J-3859/2158-7th CPC dated 12.05.2020 and in accordance with the explanation under Para 2 (3) of the said O.M., the benefit of Non-Functional Scale (NFS) in Pay Matrix Level-09 is sanctioned to the following Officer Surveyor of this GDC who have completed 04 Years of regular service as Officer Surveyor in pay Matrix Level-08, as per the details shown against his name:-

क्रम	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पद पर वेतन	वर्तमान वेतन	अपग्रेडेशन की तिथि।	NFS में
सं.	Name &	लेवल/	लेवल की	Due Date of	वेतन लेवल/
SI.	Designation	Pay level in	स्वीकृति की	Upgradation	Pay Level
No.		Present Post	तिँथि /		in MFS
			Date of		
			Sanction of		
			Present Pay		
			level		
1.	श्री संतोष प्रसाद,	लेवल-8		06-12-2023	लेवल-9
	अधिकारी सर्वेक्षक	Level-8			Level-9
			06-12-2019		
	Shri Santosh		00-12-2019		
	Prasad, Officer				
	Surveyor				

i. उपरोक्त अधिकारी का विजिलेंस-क्लियरेंस भारत रे महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र सं. विज-24/1009-विजी.क्लीरेंस (संग्रह-89) दिनांक 25 जनवरी 2024 के अनुसार सही पाया गया है तथा इनके विरूध्द कोई विभागीय अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है और न ही अधिकारी को पिछले 10 वर्षों में कोई दंड दिया गया है।

Vigilance-clearance of the above officer vide Surveyor General of India letter No. Vig-24/1009-vigilance clearance (Collection 87) dated 25.01.2024 has been found correct and no departmental disciplinary case is pending against him, nor has any punishment been given to the officer in the last 10 years.

The above officer will be granted only 'One Increment' which will be in the next cell in the Pay Matrix pursuant to CCS(RP) rules, 2016.

iii. उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाऐगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2023-2024 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाऐगा एवं समुचिच लेखा शीर्ष के नाम डाला जाऐगा।

The pay of the above officer will be fixed by the head of the office and the additional expenditure involved will be met form the sanctioned budget grant of WB & Sikkim GDC, Kolkata for the year 2023-2024 and will be debited to the appropriate head of account.

(प्राधिकार: - भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. विज-24/1009-विजी.क्लीरेंस (संग्रह-89) दिनांक 25 जनवरी 2024

(Authority: SG's letter No. Vig-24/1009-vigilance clearance (Collection 89) dated 25.01.2024)

3. एम0ए0सी0पी0 योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MODIFIED ASSURED CARRIER PROGRESSION SCHEME- IMPLEMENTATION OF

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008—सी.डी.एन दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संखा-35034/3/2008-स्था(डी) दिनांक 19-05-2009 एवं सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संखा-35034/3/2015-स्था(डी) दिनांक 22.10.2019 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी0डी0सी0, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता में ग्रुप 'सी' स्थापना के मोटर ड्रारवर-कम-मैकेनिक ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल – 6 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया:-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 35034/3/2008-Esst. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2008 and in accordance with the instructions contained in the Office Memorandum No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 22.10.2019 of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) based on the recommendation of the Seventh Pay Commission, the following employee working on the post of Motor Driver-cum-Mechanic Grade-1 of Group 'C' Establishment posted in West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Kolkata is hereby granted THIRD Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme in the Level –6 of pay matrix of Central Govt. civilian employee from the date mentioned against his name as under:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि Date from which MACP granted	प्राधिकार Authority
1.	श्री भीम राम, स्टाफ कार ड्रारवर ग्रेड-1 Shri Bhim Ram, Staff Car Driver Grade-I	19.12.2023 (तृतीय/Third)	महासर्बेक्षक के पत्र संख्या सी- 532/1902 (एम.ए.सी.पी) (MTD) दिनांक 13.02.2024

ii) एम.ए.सी.पी. से लाभन्वित कर्मी FR 22(I) (a) (1) के प्रावधान के अनुसार विकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगें एवं तदनुसार कार्यालय अध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगें ।

The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

WBSGDC-ADM037(G11)/1/2020-WBSGDC-EZ

1/111769/2024

उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित iii) सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे।

If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

3. सेवानिवृत्ति / RETIREMENT

<u>इस कार्यालय के अधोलिखि</u>त कर्मचारी, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से सेवानिवृत्त हुए। The undermentioned employee of this office is retired on Superannuation with effect from the date shown against her name as mentioned below:-

	is the didite entering algement from them the ale in	
क्रम सं	नाम और पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
Sl.No.	Name & Designation	Date of Retirement
_	श्रीमती रीना पाल, एम.टी.एस.	31-01-2024 (अपरान्ह) (A/N)
1.	Smt. Rina Pal, MTS	

उदय शंकर प्रसाद / Uday Shanker Prasad)

निदेशक / Director पश्चिम बंगाल एब सिक्किम जीडीसी, कोलकाता W.B. & Sikkim GDC, Kolkata

वितरण:

- भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
 अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
 वेबसाईट एडिमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 4. प्रभारी लेखा ।
- फाईल- सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
- 6. नोटिस बोर्ड।